भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 21

उत्तर देने की तारीख: 03.02.2020

शिक्षा ऋण पर राजसहायता

21. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): शिक्षा ऋण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज राजसहायता योजना के लक्ष्य, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल कितने छात्रों ने इस योजना से लाभ उठाया है और देश, विशेषकर पश्चिम बंगाल और झारखंड, में उच्च शिक्षा के लिए उक्त योजना से लाभ उठाने वाले ऐसे छात्रों का प्रतिशत कितना है; और

(ग): क्या सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के समय से लेकर अब तक इसके लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र ब्याज अनुदान (सीएसआईएस) योजना को लागू कर रहा है। इस योजना को वर्ष 2009 में शुरू किया गया था और 01.04.2018 से संशोधित किया गया था।

(i) इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से केवल आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण वंचित न हो । यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

(ii) योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• यह योजना भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना पर आधारित है।

• योजना भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित छात्रों द्वारा लिए गए 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि और एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान करती है।

• केवल राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या व्यावसायिक रूप से वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र ही योग्य हैं।

• योजना के तहत पैतृक आय की अधिकतम सीमा 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

• सब्सिडी केवल एक बार स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए स्वीकार्य है ।

(ख)

वर्ष	लाभार्थियों की कुल संख्या	पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों की कुल संख्या		झारखंड में लाभार्थियों की कुल संख्या	
		कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
2016-17	146632	2724	1.86	2614	1.78
2017-18	132825	2707	2.04	2305	1.74
2018-19	88825	2611	2.94	1872	2.11
2019-20	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआईएस सब्सिडी का दावा करने के लिए वेब पोर्टल वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूरा होने के बाद खोला जाएगा।				

(ग) जी, हाँ। आज तक 13593.86 करोड़ रूपये की कुल सब्सिडी के दावे के साथ 27,32,169 लाभार्थियों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, जो यथेष्ट है ।

******